

परिशिष्ट - दो
प्रपत्र - 2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 को देखें
ई-मेल

दूरभाष
फैक्स

कार्यालय मुख्य शिक्षा नैनीताल, उत्तराखण्ड

पत्रांक :- 12984

दिनांक 30.3.13

सेवा में,

अध्यक्ष/वायरथापक/प्रबन्धक

आ. रवीन्द्र पब्लिक स्कूल
हल्द्वारी नैनीताल

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्व घोषणा पत्र दिनांक 18.3.13 के तमाम में आपके विद्यालय आ. रवीन्द्र पब्लिक स्कूल हल्द्वारी नैनीताल (विद्यालय का नाम एवं पूरी पता) को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत

अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। जनपद नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 169 है।

भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उत्तमोत्तम दृष्टिकोण होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम-18 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।



MANAGER
Acharya Ravindra Public
School, Halduchaur (Nainital)

भवदीय,
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
जनपद - नैनीताल,
उत्तराखण्ड